

प्रेषक,

डा० मेहरबान सिंह बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन, चौबटिया-रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 27 दिसम्बर, 2017

विषय:- प्लास्टिक किल्टा की दर को अनुमोदित करने एवं क्रय करने की स्वीकृति
विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-421/उद्यान/2017-18, दिनांक-11 दिसम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्लास्टिक किल्टा के क्रय की आपूर्ति ई-निविदा के माध्यम से प्राप्त न्यूनतम दर ₹398 प्रति किल्टा की दर से मै० नीलकमल लिमिटेड मैटीरियल हैण्डलिंग डिवीजन, नीलकमल हाउस प्लॉट नं० 77/78 मुम्बई से क्रय किये जाने एवं कुल अनुमानित मात्रा 4300 किल्टा हेतु अनुमानित व्यय ₹17.11400लाख (रूपये सत्रह लाख ग्यारह हजार चार सौ मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

2- उपर्युक्त विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि विभागीय क्रय समिति एवं आपके द्वारा उक्त विषयक किये गये अनुमोदन एवं संस्तुति के क्रम में प्लास्टिक किल्टा की ई-निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर ₹398 प्रति किल्टा की दर से मै० नीलकमल लिमिटेड मैटीरियल हैण्डलिंग डिवीजन, नीलकमल हाउस प्लॉट नं० 77/78 मुम्बई से क्रय किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1- यह अनुमति केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु प्रदान की जा रही है। कुल अनुमानित व्यय की सीमा जनपद अधिकारियों की वास्तविक मांग एवं उक्त सामग्री हेतु योजनाओं में नियमानुसार निर्धारित बजट उपलब्धता की सीमान्तर्गत होगी।

2- मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

3- उपर्युक्त सामग्री का क्रय विषयक व्यय करते समय व्यय करते समय अधिप्राप्ति नियमावली 2017 एवं वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन एवं समय-समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों में निहित वित्तीय अधिकारों एवं प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, निर्धारित सक्षम स्तर के अनुमोदन उपरांत किया जायेगा।

- 4- पूरे स्टॉक की पर्याप्त सैम्पलिंग कर सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय।
- 5- सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्टॉक का सत्यापन किया जायेगा।
- 6- समस्त क्रयादेश निविदा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेगे। उसके द्वारा यह अधिकार प्रतिनिधानित नहीं किया जायेगा।
- 7- निविदाकर्ता अधिकारी द्वारा स्वयं सुनिश्चित किया जायेगा, कि क्रयादेश अनुसार समस्त सामग्री नियत समय पर गन्तव्य स्थान पर पहुँचे एवं वितरित हों।

भवदीय,


(डा० मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव

संख्या- 2099/XVI-1/17/5(35)/2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त मुख्य/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- व्यय वित्त नियंत्रण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 5- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से



(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव